

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1016/2025

Deepak Urf Deputy S/o Gajraj, R/o Meena Baroda Police Station
Vajipur, Swai Maddhopur Rajasthan (At Present Confined At
Central Jail Bharatpur)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Rajneesh Gupta, Adv. Mr. Rahul Sharma, Adv. Ms. Chanchal, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Arti Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/05/2026

एकल पीठ दांडिक अपील के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 825/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 430 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2, गंगापुर सिटी द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 200/2021 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से धारा 341, 323, 324, 326, 307 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम दस वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, किन्तु अपील के निस्तारण में समय लगेगा, करीब छः वर्ष की सजा भुगत चुका है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में वह 10 वर्ष की सजा के मुकाबले करीब छः वर्ष की सजा भुगत चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **दीपक उर्फ डिप्टी पुत्र गजराज** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि इस न्यायालय में **दिनांक 22.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त के संबंध



[CRLAS-1016/2025]

में पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 06.02.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

25/Arun Kumar Mittal/420